34
भारत की विदेश नीति

34.1 भूमिका :

विदेश नीति किसी देश का बाहरी जगत के साथ संबंध या अंतक्रिया की ओर इंगित करती है। अंतराष्ट्रीय मामले में भारत का महत्त्व उस विदेश नीति के कारण है। जिसका भारत पालन करता है। अंतराष्ट्रीय समुदाय के एक सदस्य के रूप में, भारत के संदेश को सभी मुख्य मंचों पर उत्सुकता से सुना जाता है। बहुत से विदेशी राजनयिक प्रत्येक वर्ष भारत आते हैं।

आज की समस्याओं की बढ़ती जटिलता तथा अंतर्संबंध विदेश नीति की महत्ता को दर्शाते हैं। यह 'विदेश नीति' उन सिद्धांतों, लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का योग है जिनका निर्माण देश, अन्य देशों से संबंध बनाते समय करता है। आज तकनीकी के माध्यम से विश्व छोटा बन गया है देशों के संपर्क भी बेहतर बन गए हैं। विदेश नीति किसी भी देश के हितों की सीमाओं से बाहर ले जाती है। ऐसे हित जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल से जुड़े हैं तथा राजनीतिक स्वतंत्रता तथा प्रादेशिक एकता का संरक्षण, साथ साथ वृहद भौगोलिक हित जैसे कि विश्व शांति। इस प्रकार की व गतिविधियों के चलते लगभग सभी क्षेत्र राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक विदेश नीति के कार्यक्षेत्र में आते हैं। महत्त्वपूर्ण सिद्धांतों तथा लक्ष्यों को धारण करके, कार्यालयी अनुबंधों, घोषणाओं तथा जन वक्तव्यों में वर्णित विदेश नीति उन संबंधों पर प्रकाश डालती है जो कि एक देश-विशेष पूरे विश्व के साथ बनाता है किसी भी देश की विदेश नीति स्थिर नहीं होती। यह परिवर्तित होती रहती है। राज्य समय--समय पर इन नीतियों को देश के अंदर व बाहर घटित परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में जांचते रहते हैं।

34.2 उद्देश्य

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप :

- उन कारकों को जान पाएंगे जो कि भारत की विदेश नीति को सुनिश्चित करते हैं।
- भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों तथा सिद्धांतों को स्मरण करेंगे।
- गुट निरपेक्षता की अवधारणा को समझ सकेंगे तथा गुट निरपेक्ष आंदोलन के निर्माण में भारत की भूमिका से अवगत हो पाएंगे।
- विभिन्न क्षेत्रों तथा - अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, विकासात्मक मुद्दे तथा परमाणु अप्रसार जैसे क्षेत्रों में भारत द्वारा उठाए गए राजनयिक कदमों के बारे में अवगत होंगे।
- संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिभागिता का विश्लेषण कर सकेंगे।
- शीतयुद्ध के पश्चात भारत की विदेश नीति में प्रमुख परिवर्तनों का विश्लेषण कर पाऐंगें।

34.3 भारत में विदेश नीति को सुनिश्चित करने वाले कारक

एक राष्ट्र की विदेश नीति के निर्माण पर ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं अन्य कई कारक प्रभाव डालते हैं। इनमें से केवल कोई भी एक कारक हावी नहीं होता, बल्कि इसमें सभी कारकों की अत: क्रिया है आइए उनमें से कुछ के बारे में विस्तार से पढ़ें।

(i) इतिहास

ऐतिहासिक आधार पर भारत बहुत से विदेशी आक्रमणों का शिकार रहा है। इसके अतीत का यह पक्ष विदेश नीति पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालता है। अत: भारत हिंसा व युद्ध से घृणा करता है। सहनशीलता तथा अहिंसा के बुद्धवादी मूल्य, जो कि सम्राट अशोक ने अपनाए थे, भारत की विदेश नीति की महत्त्वपूर्ण विशेषताएं हैं।

अंग्रेजों के प्रति स्वतंत्रता संघर्ष का ऐतिहासिक अनुभव भी स्वतंत्र भारत की विदेश नीति के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस नीति के प्रति जो दृष्टिकोण अपनाया गया वह 'स्वतंत्र' विदेश नीति के निर्माण हेतु था तथा भारतीय जनता की आवश्यकताओं व इच्छाओं का प्रतिबिंब था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने विदेश मामलों के विभाग से उस साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ने की प्रार्थना की, जो कि एशिया व अफ्रीका के विभिन्न भागों में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान देखने में आया।

(ii) संस्कृति

हमारे बाहरी विश्व के साथ शताब्दियों पुराने संबंध भी इतिहास का सुस्थापित कारक हैं । भारत सभी संस्कृतियों तथा धर्मों के लिए समिति स्थल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें मैसोपोटामियां जैसे दूरस्थ स्थलों पर भी देखने को मिलती हैं। इंडोनेशिया का अंकौरवाट मंदिर दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों से हमारे एतिहासिक व सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। नेपाल, भूटान, बर्मा (अब म्यामा), श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश के व्यक्तियों के साथ हमारे सार्वजनिक सांस्कृतिक संबंध हैं। संपूर्ण मानवजाति को परिवार के रूप में देखने 'वसुधैव कुटुंबकम' को चरितार्थ करने की दृष्टि ने भारत की विदेश नीति को आधार दिया। इस परंपरा के चलते, भारत कभी भी पूर्व-पश्चिमी या पूर्व-पाश्चात्य विश्व दृष्टिकोणों के तहत विभाजित नहीं हुआ है। भारत के लिए विश्व का एकल अस्तित्व है, देश एक-दूसरे को प्रभावित करते हुए संपूर्ण मानव जाति के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करता है।

(iii) भूगोल

किसी देश की भौगोलिक स्थिति भी विदेश नीति को सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण कारक होती है। दक्षिण एशिया में भारत की व्यूहरचना स्थित है क्योंकि यह दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क बिंदु है – एक महत्त्वपूर्ण व्यापार मार्ग है तथा सुरक्षा क्षेत्र में इसलिए उसे विश्व व क्षेत्रीय मामलों में सक्रिय भूमिका प्राप्त है। उत्तर में हिमालय तथा समुद्रों व महासागरों का सीमा के किनारे किनारे विस्तार भारत के लिए प्राकृतिक सीमा बनाता है। भारत के पड़ोस में दो प्रमुख शक्तियां – रूस व चीन हैं। दक्षिण में समुद्र में पश्चिमी नौ सेना के लिए सीमाओं की सुरक्षा कोई आसान कार्य नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न तो हिमालय न ही जल ने अतीत में बाहरी आक्रमणों से प्रतिरक्षा की। इस लक्ष्य की सुरक्षा ही विदेश नीति का लक्षण है। अत: भारत की विदेश नीति के संबंध अपने पड़ौसी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध व शांति की स्थापना में हैं। अतएव इन क्षेत्रों में सैन्यीकरण होने पर भारत इस संबंध में अपने विचार अवश्य व्यक्त करता है। इसका उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारतीय महासागर के दियागो गार्शिया में नौ सेना की तैनाती के मुद्दे का भारत द्वारा विरोध करना क्योंकि भारत का उद्देश्य भारतीय महासागर को शांति क्षेत्र बनाना है।

(iv) अर्थव्यवस्था

भारत की अर्थव्यवस्था भी देश की विदेश नीति के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उपनिवेशवाद के कटु अनुभव ने जिस अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ा, नीति-निर्माताओं ने उसी अर्थव्यवस्था की दशा को देखते हुए असंतुलन को ठीक किया तथा एक स्वस्थ आर्थिक विकास के कार्यक्रम का अनुपालन किया। सूत, खनिज के निर्यातक तथा पेट्रोल, भारी मशीनरी के आयातक के रूप में भारत को औद्योगिक रूप से सुदृढ़ देशों से तकनीक व वित्तीय सहायता उधार लेने की आवश्यकता पड़ी। इस प्रकार उसने उन देशों से बेहतर संबंध भी स्थापित किए।

हमारे संविधान में भारत को 'प्रभुसत्तासंपन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य' घोषित किया गया है। परिणामस्वरूप भारत की विदेश नीति में भी इन आदर्शों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, देश की गणराज्यीय व्यवस्था विशेषकर सरकार का संसदीय स्वरूप भी विदेश नीति को प्रभावित करता है। भारत की विदेश नीति घरेलू समझौतों व आधार पर आधारित है। देश की विदेश नीति के निर्माण में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व की भूमिका ने एक गहरा प्रभाव छोड़ा है, जो आज भी विदेशी संबंध-संचालन में प्रतिबिंबित है। विदेश नीति सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के आपसी विचार विमर्श से निर्धारित की जाती है। बहुत से दबाव समूह तकनीकी, वाणिज्य समुदाय, स्वास्थ्य महिला अधिकारों, प्रवासी भारतीय सभी मिलकर विदेश नीति के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, घरेलू जन मत, जो कि प्रेस के माध्यम से उद्धत होता है, भी विदेश नीति निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक वातावरण

भारत या किसी भी देश की विदेश नीति पर विश्व में व्याप्त वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरणस्वरूप शीत युद्ध की शुरुआत, तत्पश्चात रूस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्वितीय विश्व युद्ध, सेनाओं का प्रसार, परमाणु युद्ध के प्रसार ने , भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का निर्माण करके सकारात्मक विदेश नीति को बढ़ावा दिया। गुटनिरपेक्षता के माध्यम से नीति को स्वतंत्रता के महत्त्वपूर्ण पैमानों को सुरक्षित रखा जाता है। यह कोई नकारात्मक नीति या दृष्टिकोण नहीं था। गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका, उसका अफ्रीकी-एशियाई देशों को आश्रय तथा शांति स्थापना में संयुक्त राष्ट्र को भारत का योगदान ने शीत युद्ध काल की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रत्युत्तर दिया।

पाठगत प्रश्न 34.1

1. निम्नलिखित के आगे सही अथवा गलत का निशान लगाइए।

(क) किसी देश की विदेश नीति उस देश के विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध पर आधारित होती है। (सही / गलत)

(ख) राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी मुद्दे विदेश नीति के तहत आते हैं । (सही / गलत)

(ग) भारत की विदेश नीति की जड़ें 1947 में हैं, जब भारत स्वतंत्र हुआ था। (सही / गलत)

(घ) शीत युद्ध के मध्य में स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न राज्य के रूप में भारत के जन्म ने विदेश नीति को प्रभावित किया। (सही / गलत)

(ङ) स्वतंत्रता के बाद से ही भारत की विदेश नीति विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के मध्य विवाद का विषय रहा है। (सही / गलत)

2. कोष्ठक में दिए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें?

(क) .... और .... के बुद्धवादी मूल्य भारत की विदेश नीति के मुख्य लक्षण हैं। (घृणा, अहिंसा, हिंसा, युद्ध, सहनशीलता)

(ख) दो प्रमुख शक्तियां .... और .... भारत की उत्तरी सीमा के बिलकुल समीप हैं। (रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन)

(ग) शीतयुद्ध .... और .... के मध्य गहरी शत्रुता का परिणाम था। (संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, भारत और ब्रिटेन)

34.4 भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत तथा उद्देश्य

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घोषित भारत की विदेश नीति के उद्देश्य भारत के अन्य देशों के साथ संबंध संचालन में मार्गदर्शक रहे हैं भारत की विदेश नीति के पांच मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(क) भारत की प्रादेशिक एकता तथा नीति की स्वतंत्रता का संरक्षण,

(ख) अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा निरस्त्रीकरण का प्रसार,

(ग) भारत का आर्थिक विकास,

(घ) सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता, तथा

(ङ) भारतीय आप्रवासियों के हितों की सुरक्षा

इन आधारभूत उद्देश्यों को राष्ट्रीय हितों में गिना जाता है। इन्हीं राष्ट्रीय हितों या उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही हमारी विदेश नीति के संचालन में कुछ सिद्धांतों को समाविष्ट किया गया है। चाहे केंद्र में किसी भी पार्टी की सत्ता हो, इन सिद्धांतों का पालन अवश्य किया जाता है। आइए इनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में जानें:

(i) गुट निरपेक्षता

विदेश नीति के एक उपकरण व महत्त्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में गुट निरपेक्षता भारत की विदेश नीति का आवश्यक तत्व बन गया है। यह अमेरिका द्वारा प्रतिनिधित्व, पश्चिम तथा रूस द्वारा प्रतिनिधित्व, पूर्व के वैचारिक मतभेद का प्रत्युत्तर था। नेहरू की व्याख्या के अनुसार गुट निरपेक्षता वह नीति है जिसमें अपने किसी राष्ट्र के सैन्य दल के साथ स्वयं को नहीं बांधते। इसमें शीत युद्ध के संदर्भ में किसी शक्ति संगठन से न जुड़ना भी शामिल है। न ही यह अवधारणा तटस्थता, पृथक्करण से संबंधित है। यह विश्व मामलों मे अपने समर्थको द्वारा एक गतिशील व सकारात्मक भूमिका की मांग करता है तथा राज्यों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा गतिशील सहयोग में सिद्धांतों की स्थापना करता है।

भारत के लिए दोनों शीत युद्ध में सैन्यदलों की मित्रता लाभकारी रही। विशेषत: देश के आर्थिक विकास में सहायता प्राप्त करने के लिए बहुत सहायक रही। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत की सबसे अधिक सहायता की है भिलाई तथा बोकारों में इस्पात व लोहे की फैक्टरियों की स्थापना में। रूस की सहायता भी देश के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण रही।

भारत ने देशों को एक साथ लाकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरणार्थ भारत ने 1955 में वांडुंग (इंडोनेशिया) में 29 देशों का सम्मेलन प्रायोजित किया। यह सम्मेलन अफ्रीकी एशियाई एकता के इतिहास में महत्त्वपूर्ण रहा। 6 साल बाद 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन अस्तित्वमें आया तथा बेलग्राद में इसका पहला सम्मेलन हुआ। तब से अब तक सभी सदस्य देशों के प्रमुखों ने समय-समय पर किसी सदस्य देश की राजधानी में सम्मेलन का आयोजिन किया है। भारत ने 1983 में नई दिल्ली में सातवें गुट निरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन किया। जिसमें 99 राज्यों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के माध्यम से भारत ने परमाणु ऊर्जा प्रसार, निरस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद, जातिवाद, आर्थिक विकास सरीखे मुद्दों पर विश्व मत का प्रचार किया।

(ii) शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व

भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व भी एक मुख्य कारक है। इसे प्रथम बार 1954 में भारत व चीन के बीच हुए समझौते में शामिल किया गया। इसे 'पंचशील' नामक सिद्धांत में से एक गिना गया। पंचशील में निम्नलिखित पांच सिद्धांत शामिल किए गए हैं :

(क) एक-दूसरे की प्रादेशिक एकता व प्रभुसत्ता का सम्मान

(ख) परस्पर अनाक्रमण

(ग) एक दूसरे के आंतरिक मामलों में परस्पर हस्तक्षेप न करना

(घ) समानता एवं आपसी हितों का ध्यान

(ङ) शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व

पंचशील बहुत से अंतर्राष्ट्रीय समझौते में आधारस्वरूप रहा। 1955 के वांडुंग सम्मेलन ने 'पंचशील' सिद्धांतों को समर्थन दिया गया।

मित्रतापूर्ण संबंधों को कायम रखने का अद्यतन भाषांतरण 'गुजराल सिद्धांत' में प्रतिबिंबित होता है। गुजराल सिद्धांत का नामकरण हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल के नाम पर किया गया है तथा यह सिद्धांत भी "पंचशील" की ही भांति पड़ोसी राष्ट्रों से अच्छे संबंध रखने पर बल देता है। यह सिद्धांत, पड़ोसी राष्ट्रों द्वारा आरंभ की जाने वाली सौहार्दपूर्ण वार्ताओं के लिए भी आधार है। भारत की अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने की नीति मुख्यत: पांच सिद्धांत पर आधारित है :

प्रथम, नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव जैसे पड़ोसियों के साथ भारत लेनदेन नहीं चाहता। अपितु विश्वास व भरोसे पर उन्हें बेहतर सेवाएं प्रदान करता है। दूसरा, कोई भी दक्षिण एशियाई देश अपने क्षेत्र में देशों के हितों के लिए हानिपूर्ण हो। तीसरा, कोई भी एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चौथा, सभी दक्षिण एशियाई देश एक-दूसरे की प्रादेशिक एकता व प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे। पांचवां, सभी अपने वादविवादों का समाधान शांतिपूर्ण संधिवार्ताओं के माध्यम से करेंगे। भारत ने अपने संबंधो को बेहतर बनाने के लिए देशों से व्यक्तिगत संवाद शुरू किए हैं। उदाहरणार्थ – पाकिस्तान सरकार के साथ सामयिक वार्ता। भारत बंगलादेश के साथ गंगा के जल के बटवारे का भी समाधान कर चुका है। नेपाल के साथ 'महाकाली' समझौता भी पड़ौसी राष्ट्रों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध कायम करने की मिसाल है।

शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांत ने एक अन्य संबंधित सिद्धांत पर भी बल दिया है – सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। भारत ने विभिन्न अवसरों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृ ति की समस्या को द्विपक्षीय या तृतीय विश्व के देशों के साथ वार्ताओं के द्वारा सुलझाया है। उदाहरण स्वरूप इसके प्रोत्साहन से समय-समय पर किसी समस्या का वार्ता द्वारा समाधान किया गया है, यथा कोरिया में बंदियों को वापस लौटाना, भारत-चीन, अरब-इस्राईल संघर्ष तथा पूर्व-पश्चिम के मतभेदों का निपटान। विनाशकारी विश्वयुद्ध के बाद एक स्वतंत्र प्रभुसत्तासंपन्न राज्यों का उदय हुआ जिसने हिरोशिमा व नागासाकी के मासूम व्यक्तियों पर परमाणु बम का प्रयोग भी देखा, भारत इस अस्त्र के विरोध में रहा है परमाणु प्रसार, तकनीकी विकास तथा घातक माध्यमों के प्रयोग ने निरस्त्रीकरण को एक तत्काल आवश्यकता के रूप में प्रतिबिंबित किया।

दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति कायम करने के लिए भारत ने मित्रतापूर्ण संबंधों का सहारा लेकर आपसी सहयोग को लक्ष्य बनाया। महत्त्वपूर्ण अनुबंध जैसे सिंधु जल समझौता, जिस पर 1960 में भारत व पाकिस्तान द्वारा हस्ताक्षर किए गए। 1972 का शिमला समझौता, सीमा के प्रश्न पर चीन-भारत वार्ता, नागरिक अधिकारों व तमिलों को लौटाने पर 1964 का शास्त्री-भंडारनायके समझौता, कयातीवु द्वीप के विवाद पर समझौता, जल बंटवारे पर भारत-बंगलादेश समझौता, सभी विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए दबाव का उदाहरण है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना इस ओर एक सकारात्मक प्रयास था तथा इसकी स्थापना से क्षेत्रीय सहयोग का प्रचार प्रसार बढ़ा अस्तित्व में आए दक्षिण एशियाई अधिमान्य व्यापार समझौते से क्षेत्रों में सौहार्दपूर्ण व्यापार संबंध बढ़ रहे हैं।

(iii) संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग

अपनी विदेश नीति में स्थापित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए तथा विश्व शांति व सहयोग के हितों को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र को महत्वपूर्ण उपकरण समझता है। 1956-57 के स्वेज संकट के दौरान भारत ने संयुक्त राष्ट्र की नीतियों में विश्वास को बल मिला। संस्थाओं के इतिहास में पहली बार संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन दल के नाम वृहद शांति संबंधी कार्यों का आयोजन किया गया। इस संबंध में भारत का योगदान भी महत्त्वपूर्ण रहा। यह संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना में भारत की प्रतिभागिता की शुरुआत थी। आज ऐसी गतिविधियों में चाहे वह कांगो, नामीबिया, या मोजाम्बिक में हो, भारत के योगदान को जाना माना जाता है।

भारत संयुक्त राष्ट्र का बड़ा समर्थक रहा है। यह एक ऐसी संस्था है जो कमजोर व छोटे राष्ट्रों के लिए हितकारी है। शीत युद्धों ने संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में विघ्न डाला, जिससे यह संस्था बहुत से राष्ट्रो में अपंग हो गई। इस संदर्भ में भारत ने शीत युद्ध के दौरान ऐसे किसी भी प्रयास का विरोध किया जिससे संयुक्त राष्ट्र कमजोर हो। भारतका मत था कि कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की सुरक्षा सभी के लिए चिंता का विषय है फिर भी यह मानता है कि इस संबंध

में महाशक्तियों का विशेष दायित्व है संयुक्त राष्ट्र केवल शांति व सुरक्षा प्रदान करने की ओर कार्य कर सकती है बशर्ते कि महाशक्तियों के बीच एकता व परस्पर सहयोग हो। संयुक्त राष्ट्र के इकट्ठे सुरक्षा व्यवस्था में प्रथम आपातकाल 1950 के कोरिया संकट के दौरान आया। भारत ने उस तरीके का सर्वथा विरोध किया, जिसमें विवादों का अंत सैन्यदलों की सहायता से किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत ने मध्यस्थता प्रयासों में सहायता की तथा युद्धग्रस्त लोगों के लिए एक चिकित्सा-टीम को भेजा। हाल ही के वर्षों में भारत खाड़ी-युद्ध (1990) ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के प्रति आलोचक रहा उसी प्रकार यूगोस्लाविया में संकटावस्था में भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागिता के प्रति सचेत रहा।

संयुक्त राष्ट्र में भारत ने निरस्त्रीकरण पर वार्ताएं आरंभ की। 1950 में एक प्रस्ताव बनाते हुए भारत ने विकास के लक्ष्यों को निरस्त्रीकरण के साथ जोड़ा। अब तक विनाशकारी शस्त्रों पर बड़ी राशि खर्च की जा रही थी। अतएव स्पष्ट था कि इस क्षेत्र में की जाने वाली बचतों को अधिक रचनात्मक कार्यों में, विकासात्मक गतिविधियों में प्रयोग कर सकते हैं। अतएव संयुक्त राष्ट्र में विभिन्न अवसरों पर, भारत ने उन देशों में पूंजी, उपकरणों तथा तकनीकी के आयात पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया जो देश शस्त्रों के निर्माण को बढ़ावा देना करना चाहते हैं।

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक विकास के मुद्दों पर वार्ताओं के लिए महत्त्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। दूसरी ओर अब तक जहां ब्रेटन वुड संस्थाओं में तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व बैंक समृद्ध देशों के पास निर्णय निर्धारण की शक्ति थी वहां संयुक्त राष्ट्र में 'एक देश एक मत' के सिद्धांत ने भारत जैसे देशों के मत को महत्त्वपूर्ण बनाया। इससे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की वर्तमान अवस्था में विरोधों को व्यक्त करने का अवसर मिला। भारत ने 1974 की सामान्य बैठक में पारित 'नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था' के महत्त्वपूर्ण संकल्प को प्रायोजित किया। इसने अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की उस ढांचागत बाधा को केंद्रमें रखा, जिसने देशों को अपने साधनों का पूर्ण प्रयोग करने से वंचित किया था। उदाहरणार्थ प्राथमिक उत्पादों जैसे - सूत, जूट की कम कीमतें, विकसित देशों के उच्च सीमाशुल्क बाधाएं तथा सभी के द्वारा असामान्य व्यापार नियमों पर प्रकाश डाला। व्यापार व विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) में सुरक्षात्मक मूल्यों के मुद्धों को उठाया गया जो 'पारिश्रमिक, समानता व स्थिरता' पर आधारित थे।

आर्थिक क्षेत्र में भारत के संयुक्त राष्ट्र के साथ संबंध द्विमार्गी प्रक्रिया थी। एक ओर भारत विश्व संस्था द्वारा शुरु किए गए कार्यक्रमों का प्रत्यक्ष लाभ लेता था दूसरी ओर भारत ने स्वयं व्यक्तिगत रूप में व संसाधनों के द्वारा संस्था के कार्यक्रमों में योगदान दिया।

भारत का संयुक्त राष्ट्र को समर्थन का अर्थ यह नही है कि यह विश्व संस्था श्रेष्ठ है। भारत ने सदैव महसूस किया है कि संयुक्त राष्ट्र को अधिक उदार होना चाहिए। इसके कार्य अधिक लोकतांत्रिक व पारदर्शी होने चाहिए। इस संबंध में भारत ने निवेदन किया है कि सुरक्षा परिषद का विस्तार हो, ताकि उसमें भारत जैसे देश शामिल हो सकें।

(iv) जातिवाद का विरोध

भारत लंबे समय से जातिवाद का विरोध करता रहा है। पहली बार 1946 में भारत द्वारा भेदभाव के विरोध में प्रश्न उठाया गया। जब दक्षिण अफ्रीका संघ द्वारा उस देश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के प्रति दुर्व्यवहार किया गया। बाद में उसी सरकार द्वारा व्यवहार मे लाए पृथक्करण के मुद्दे पर भी सवाल उठाया गया। विरोध स्वरूप भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ संबंध तोड़ लिए। उस देश के साथ संबंध दुबारा तभी स्थापित किए गए जब पृथक्करण व्यवस्था को पूर्णत: हटा कर एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक सरकार की 1994 में नेल्सन मंडेला द्वारा स्थापना की गई।

(v) उपनिवेशवाद का विरोध

भारत उपनिवेशवाद का विरोधी रहा है। भारत की इस प्रवृति ने उसे उन एशियाई व अफ्रीकी राज्यों के निकट कर दिया जो स्वंय ही इस उपनिवेशवाद के शिकार थे। भारत ने 1947 में एशियाई राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जिसका विषय था 'अ-उपनिवेशवाद'। वांडुंग सम्मेलन (1955) ने भी 'अपने घोषणापत्र में साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के विरुद्ध सामान्य नीति'' का आह्वान किया।

अफ्रीकी- एशियाई देशों के संयुक्त प्रयासों को प्रेरणा मिली। जब 1960 में संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने औपनिवेशिक देशों व व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान करने की घोषणा की। भारत इस घोषणा के सह-प्रायोजकों में से एक था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण के तहत स्थापित समितियों में इस निमित्त भाग लिया कि उपनिवेशवाद की समापन प्रक्रिया को जांचा जा सके। भारत ने रोडोशिया, अंगोला, मोजांबिक में उपनिवेशवाद का विरोध किया तथा 1961 में गोवा की पुर्तगालियों से मुक्ति हेतु सेनाएं भेजने में संकोच नहीं किया।

पाठगत प्रश्न 34.2

प्रश्न 1 उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें –

(क) .... भारत की नीति का मुख्य निर्माता है।

(ख) गुट निरपेक्ष समूह की प्रथम बैठक .... में .... आयोजित की गई।

(ग) अफ्रीकी-एशियाई देशों की वांडुंग सम्मेलन .... में आयोजित की गई।

(घ) पंचशील .... तथा ....के बीच हस्ताक्षरित समझौतों में सन्निहित था।

(ङ) महाकाली समझौता भारत के .... के साथ संबंधों में बहुत महत्त्वपूर्ण था।

प्रश्न 2 सही उत्तर पर निशान लगाएं –

(क) गुट निरपेक्षता तथा तटस्थता समान ही हैं। (सही / गलत)

(ख) भारत ने सदैव महसूस किया है कि संयुक्त राष्ट्र उदार नहीं है तथा इसके कार्यों को अधिक लोकतांत्रिक तथा पारदर्शी होना चाहिए। (सही / गलत)

(ग) भारत ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली रंगभेद की नीति का विरोध किया। (सही / गलत)

34.5 शीत युद्ध के बाद चुनौतियाँ

चार से भी अधिक दशकों से भारत की विदेश नीति शीत युद्ध की राजनीति को ध्यान में रखते हुए कार्य संचालन कर रही है। कटु शत्रुता के साथ तथा सोवियत रूस के विभाजन के साथ उत्तर शीत युद्ध युग आरंभ हो चुका है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत की विदेश नीति के किन परिवर्तनों की आवश्यकता है? नई विश्व व्यवस्था में गुट निरपेक्षता कहां तक ठीक है? कुछ ऐसे प्रश्न है जिनका भारतकी वर्तमान विदेशनीति के संदर्भ में उत्तर जानना जरूरी है।

निःसंदेह भारत की विदेश नीति में कुछ मुख्य समायोजनों को शामिल किया जाना जरूरी है। भारत की विदेश नीति में समाविष्ट कुछ लक्ष्य व उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(1) अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का प्रसार (2) शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व (3) अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटान (4) संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग (5) उपनिवेशवाद का विरोध (6) जातिवाद का विरोध (7) आर्थिक विकास तथा (8) गुट निरपेक्षता।

ऐसे मुद्दे, जिनके लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई आज भी उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं। भारत अन्य गुट निरपेक्ष आंदोलन के साथ सहयोग में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक कटु सत्य है कि समृद्धों व गरीबों के बीच इस सदी के अंत तक आर्थिक अंतर बढ़ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में विकासशील देशों के लिए हानिकारक स्थिति में रहेगें। इन्हीं परिस्थितियों में भारत को अन्य देशों के साथ मिलकर सहायक परिवर्तनों की ओर कार्य करना चाहिए। ऐसा करने में, भारत को गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्षेत्र को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए।

भारत का व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (कांप्रीहेंसीव टेस्ट बैन ट्रीटी (सीटीबीटी)) के साथ वार्ता व कार्य

व्यवहार का प्रयास भी प्रशंसनीय है। इस वार्ता ने भारत को एक स्वतंत्र विचार स्थापित करने व विश्व मुद्दों पर लौटने में सहायता की है। भारत सभी परमाणु शस्त्रों के उन्मूलन का प्रबल समर्थक रहा है तथा जिनेवा में, जहां वार्ता की गई, भारत ने सैद्धांतिक आधारों पर समझौते का विरोध किया।

भारत का परमाणु शस्त्रों के प्रति विरोध मूलत: उन विनाशकारक शक्तियों का मार्ग अवरोध है जो इन शस्त्रों के परिणामस्वरूप सबल हैं। परमाणु शक्ति को उर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में पहचानते हुए भारत ने बार-बार बल दिया कि इसका प्रयोग रचनात्मक उद्देश्यों व शांति के लिए होना चाहिए। अतएव भारत सदैव सभी परमाणु अस्त्रों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में रहा है।

1961 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पारित किया कि विश्व की महान शक्तियों, जो कि सर्वश्रेष्ठ परमाणु शक्तियां भी हैं, परमाणु परीक्षण न करें। 1963 में भारत ने पार्शियल टैस्ट बैन ट्रीटी (पीटीबीटी) पर हस्ताक्षर किए, जो कि अंतरिक्ष व समुद्र में परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध के लिए था। 1968 में भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। उसका यह विरोध फिर से सैद्धांतिक आधार पर था उसके मतानुसार इस संधि ने अपरमाणु शस्त्रों के विरुद्ध भेदभाव किया था। इस संधि की मांग थी कि देशों को परमाणु हथियार बनाने से बचना चाहिए। इस बात की परवाह किए बगैर कि परमाणु संपन्न देश अपने संचयन को घटाने हैं तथा वास्तविक परमाणु निरस्त्रीकरण का पालन करते भी है या नहीं। अत: जब संधि के द्वारा देशों के आसपास परमाणु अप्रसार की कोशिश की गई तो यह इसने देशों के अंदर इस अप्रसार के लिए बहुत कम कार्य किया। यह ज्यादा गंभीर स्थिति है। उस परमाणु प्रसार तकनीक व सुविधाओं को देखते हुए ही ऐसा किया गया क्योंकि ये इन महाशक्तियों के पास ही उपलब्ध हैं। उदाहरणार्थ अमेरिका, रूस, फ्रांस व ऐसे अन्य परमाणु देशों में वैज्ञानिक ढंग से इस प्रकार के परीक्षण उनकी प्रयोगशालाओं में किए जा सकते हैं। ऐसे देशों को अपने परमाणु परीक्षण धरती पर करने की जरूरत नहीं है।

एनपीटी में अभी तक यह दोष पाए जाते हैं। जब 1995 में इसका विस्तार किया गया तो भी निरस्त्रीकरण के लिए कोई समय निगमित नहीं किया गया। इसके विपरीत संधि को असीमित समय दिया गया है। भारत का सीटीबीटी के प्रति विरोध भी इन्ही आधारों पर हैं। 1988 में हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए व्यापक योजना प्रस्तुत की। उस समय प्रस्तावित योजना पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके बजाय 1994 में एक नए समझौते पर वार्ता शुरू की गई 'एनपीटी' की भांति ही 'सीटीबीटी' भी विश्व में परमाणु पदसोपान का रखरखाव चाहता है। निरस्त्रीकरण में एक वास्तविक हित के बगैर परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा वह भी समयबद्ध होना चाहिए। समझौतों के इसी पक्ष के कारण भारत ध्यान आकर्षित करता है।

हमारे देश के सामने आर्थिक स्थिति से संबंधित भी कई चुनौतियां हैं। 1994 में अर्थव्यवस्था को उदार बनाने का निर्णय, एक क्रियाशील विदेशी अर्थ नीति के लिए भी जरूरी है। भौगोलिक आर्थिक निरीक्षणकर्ता भी स्वीकार करते है कि अगले 20-30 वर्षों में पांच मुख्य शक्तियां होंगी उनमें से यदि एशिया प्रशांत एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बनने जा रहा है तो भारत को उस का एक भाग बनने का प्रयास करना चाहिए। इस संबंध में कुछ कदम उठाए जा चुके हैं। भारत ने दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठन (एसियान) के साथ विकासात्मक प्रतिभागिता आरंभ की है (उस संस्था का सदस्य न होते हुए भी भारत को संस्था में महत्त्वपूर्ण प्रतिभागिता प्राप्त है)। आगे भारत एशिया-प्रशांत आर्थिक समुदाय (एपीइसी) मंच का सदस्य बनने की ओर प्रयास कर रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवहार पक्षपातपूर्ण व भेदभावपूर्ण है जबकि पर्यावरणीय चिंतन भी अल्प विकसित विश्व के उत्पादों के लिए व्यापार बाधाएं हैं ऐसी स्थिति में विदेश नीति महत्वपूर्ण बन जाती है।

पाठगत प्रश्न 34.3

प्रश्न 1 सही प्रश्न पर निशान लगाएं

भारत ने संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि

(क) यह एक परमाणु शस्त्र संपन्न देश है

(ख) भारत महसूस करता है कि यह संधि परमाणु शस्त्रों का स्वामित्व रखने वाले देशों तथा अपरमाणविक देशों के बीच भेदभावपूर्ण नीति अपनाती है।

(ग) यह परमाणु निरस्त्रीकरण में विश्वास नहीं करता।

प्रश्न 2 निम्नलिखित संक्षिप्त शब्दों का विस्तृत अर्थ बताएं

(क) सीटीबीटी

(ख) एशियान (ए.एस.ई.ए.एन)

(ग) एपीइसी

आपने क्या सीखा

प्रत्येक देश के कुछ राष्ट्रीय उद्देश्य होते हैं। वह अपनी विदेश नीति के माध्यम से उनका अनुसरण करता है। भारत की विदेश नीति बहुत से कारकों जैसे इतिहास, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था से प्रभावित होती है। यह घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय कारक भारत की विदेश नीति का निदेशन तथा निर्माण करते हैं। हमारी विदेश नीति में कुछ आधारभूत लक्ष्य भी हैं जो हमारी वर्तमान विदेश नीति के संचालन को प्रेरित करते हैं। भारत की विदेश नीति को राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना जरूरी हैं। इस संबंध में भारत की विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना जरूरी है। इस संबंध में भारत की विदेश नीति अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए संचालित की जा रही है ।

पाठांत प्रश्न :

1. किसी देश की विदेश नीति का क्या महत्त्व है?
2. किसी देश की विदेश नीति को सुनिश्चित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, विस्तार से विश्लेषण करें?
3. भारत की विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए?
4. व्याख्या करें कि गुट निरपेक्षता किस प्रकार भारत की विदेश नीति के लक्ष्य तथा सिद्धांत के रूप में संगत है?
5. निम्नलिखित संक्षिप्त शब्दों का विस्तृत अर्थ बताएं

   (क) शांतिपूर्ण सहअस्तित्व।

   (ख) गुजराल सिद्धांत।

   (ग) संयुक्त राष्ट्र शांति-स्थापना प्रयासों में भारत की भूमिका।

   (घ) एनपीटी तथा सीटीबीटी के प्रति भारत का विरोध।

योग्यता विस्तार

(1) हरीश कपूर, भारत की विदेश नीति, 1947-92, शैडो एन्ड सबस्टान्स (नई दिल्ली, 1994)

(2) के.पी. मिश्रा, भारत की विदेश नीति का अध्ययन (नई दिल्ली, विकास 1969)

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

34.1

1

(क) सही

(ख) सही

(ग) गलत

(घ) सही

(ङ) गलत

2

(क) सहिष्णुता, अनाक्रमण

(ख) रूस व चीन

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत रूस

34.2

1

(क) नेहरू

(ख) बेलग्राद, 1961

(ग) 1955

(घ) भारत, चीन

(ङ) नेपाल

2

(क) गलत

(ख) सही

(ग) सही

34.3

1. (ख)

2. (क) कांप्रीहेंसीव टेस्ट बैन ट्रीटी

(ख) एसोसिएशन आफ साउथ-ईस्ट एशियन नेशन्स

(ग) एशिया पेसिफिक इकोनोमिक कम्यूनिटी

पाठांत प्रश्नों के संकेत

प्रश्न 1 कृपया अनुभाग 34.1 में देखें।

प्रश्न 2 कृपया अनुभाग 34.3 में देखें।

प्रश्न 3 कृपया अनुभाग 34.4 में देखें।

प्रश्न 4 अनुभाग 34.4.1 में तथा 34.5 देखें।

प्रश्न 5 (क) कृपया अनुभाग 34.4.2 में देखें।

(ख) कृपया 34.4.2 में देखें।

(ग) कृपया 34.4.3 में देखें।

(घ) कृपया 34.5 में देखें।